N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0023 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2025 20:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 30/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:57 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2025 20:21:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PURANA BAS STAND PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PANKAJ KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	751A, INDRAVIHAR NAYAGAON ROAD PALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	751A, INDRAVIHAR NAYAGAON ROAD PALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA SINGH		पिता:JANAK SINGH	1. 144,AMRATPURI COLONY,ANAJ GODAM KE PASS CHAUPAD,HINDAON CITY,KARAULI,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी पाली द्वितीय विषयः- रिश्वत लेते हुये पकडवाने की कारवाई के लिये। महोदय निवेदन है कि मैं पंकज कुमार पुत्र श्री रमेश जी जाति छींपा दर्जी निवासी 751ए इन्द्र विहार नया गांव रोड पाली का निवासी हूं। मेरे द रायल होम के नाम से फर्म ओपन की है जिसका संचालन मेरे घर से ही करता हूं। मेरी फर्म का जीएसटी नम्बर 08सीएसएमपीपी8859ए1जेड6 है। दिनांक 16.01.2025 को जीएसटी इन्सपेक्टर नरेन्द्र सिंह जी मेरे घर मेरी फर्म का वेरीफीकेशन करने के लिये आये तथा मेरी फर्म से संबधित कागज लिये तथा मुझे अपने आफीस बुलाया। मैं अगले दिन जीएसटी आफीस गया तो मुझे वहां नरेन्द्र जी इन्सपेक्टर मिले तथा कहने लगे मैनें तुम्हारे फर्म का वेरीफीकेशन किया है। इसके बदले मुझे 20000/- रूपये दो। जिस पर मैनें कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नही है तो वो पैसे कम करके मुझ से 4000/- रूपये मांगने लगे और कहने लगे की 4000/- रूपये दोगे तभी फाईल आगे जायेगी। उसके बाद से लगातार फोन-वाटसअप पर काल करके मुझसे रूपये मांग रहे है, रूपये नही देने पर 50000/-रूपये की पेनल्टी लगाने की कहते है। मैं मेरे सही काम के लिये नरेन्द्रजी इन्सपेक्टर को रिश्वत के 4000/-रूपये नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी नरेन्द्रजी इन्सपेक्टर साहब से कोई दुश्मनी नही है तथा न ही कोई रूपये पैसो का लेन-देन उधार आदि बाकी है। मेरी शिकायत पर कार्यवाही करवाये। दिनांक 27.01.2025 प्रार्थी एसडी पंकज कुमार मोबाईल नम्बर [redacted] कार्यवाही ए.सी.बी दिनांक 27.01.2025 वक्त 05.30 पी.एम. दर्ज रहे कि इस समय परिवादी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रमेश जाति छींपा दर्जी निवासी 751ए इन्द्रविहार नयागांव रोड पाली कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा एक शिकायत इस आश्य की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की कि मैं पंकज कुमार पुत्र श्री रमेश जी जाति छींपा दर्जी निवासी 751ए इन्द्र विहार नया गांव रोड पाली का निवासी हूं। मेरे द रायल होम के नाम से फर्म ओपन की है जिसका संचालन मेरे घर से ही करता हूं। मेरी फर्म का जीएसटी नम्बर 08सीएसएमपीपी8859ए1जेड6 है। दिनांक 16.01.2025 को जीएसटी इन्सपेक्टर नरेन्द्र सिंह जी मेरे घर मेरी फर्म का वेरीफीकेशन करने के लिये आये तथा मेरी फर्म से संबधित कागज लिये तथा मुझे अपने आफीस बुलाया। मैं अगले दिन जीएसटी आफीस गया तो मुझे वहां नरेन्द्र जी इन्सपेक्टर मिले तथा कहने लगे मैनें तुम्हारे फर्म का वेरीफीकेशन किया है। इसके बदले मुझे 20000/- रूपये दो। जिस पर मैनें कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नही है तो वो पैसे कम करके मुझ से 4000/- रूपये मांगने लगे और कहने लगे की 4000/- रूपये दोगे तभी फाईल आगे जायेगी। उसके बाद से लगातार फोन-वाटसअप पर काल करके मुझसे रूपये मांग रहे है रूपये नही देने पर 50000/-रूपये की पेनल्टी लगाने की कहते है। मैं मेरे सही काम के लिये नरेन्द्रजी इन्सपेक्टर को रिश्वत के 4000/-रूपये नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी नरेन्द्रजी इन्सपेक्टर साहब से कोई दुश्मनी नही है तथा न ही कोई रूपये पैसो का लेन-देन उधार आदि बाकी है। मेरी शिकायत पर कार्यवाही करवाये। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ करनें पर परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवम् पुछताछ से मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने से संबधित होनें से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आनें से प्रथमतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होनें से गोपनीय सत्यापन करवाये जानें का निर्णय लिया जाकर श्री भवानीसिहं हैडकानि नं0 19 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री पंकज कुमार का आपस में परिचय करवाया जाकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करने के लिये परिवादी के साथ जाने के लिये निर्देशित किया। परिवादी ने बताया कि अब शाम हो जाने से श्री नरेन्द्र सिंह इन्सपेक्टर नही मिलेगें तथा मैं कल इनसे मिलकर रिश्वत राशि के संबध में वार्ता करूंगा। परिवादी के बताये अनुसार आज दिनांक को परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में गोपनीय रिश्वत राशि का सत्यापन नही होने से कल दिनांक 28.01.2025 को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर बताया कि कल सुबह जब भी एसओ से रिश्वत राशि संबधी वार्ता करने जाये तब श्री भवानी सिंह हैड कानि0 से सम्पर्क कर इनसे ब्यूरो का डिजीटल वायस रिकार्डर लेकर रिश्वत राशि मांग की वार्ता करने के लिये एसओ से मिलने के लिये जावें। साथ ही श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को निर्देशित किया कि जब भी परिवादी श्री पंकज आपसे सम्पर्क करे तो कार्यालय हाजा का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड लेकर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाने संबधी कार्यवाही करें। ब्यूरो का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय नया

मेमोरी कार्ड श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 28.01.2025 को वक्त 12.45 पी0एम0 पर श्री भवानी सिंह हैड कानि0 हमरा परिवादी श्री पंकज कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। श्री भवानी सिंह हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व का सुपुर्दशुदा सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर के बंद हालात में सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह परिवादी ने सुबह मेरे से सम्पर्क कर मुझे करीब 11.15 बजे पुराना बस स्टैण्ड के पास मिलने के लिये कहा तथा एसओ से रिश्वत राशि की वार्ता करने के लिये जाना बताया। जिस पर मैं परिवादी के बताये अनुसार श्रीमान के निर्देशो की पालना में सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड लेकर मेरी मोटरसाईकिल से परिवादी के बताये स्थान पुराना बस स्टैण्ड पर गया जहां पर परिवादी श्री पंकज कुमार मुझे उपस्थित मिला। पुराना बस स्टैण्ड से मैं मेरी मोटरसाईकिल से व परिवादी अपने स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना होकर जीएसटी कार्यालय के बाहर एकान्त में रूके तथा वहां मैनें परिवादी को सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर चालू कर एसओ से मिलकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिये सीजीएसटी कार्यालय की तरफ रवाना किया। मैं जीएसटी कार्यालय के पास ही अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के वापिस आने के इन्तजार में मेरी मोटरसाईकिल सहित खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री पंकज कुमार बाद गोपनीय सत्यापन के मेरे पास आया जिस पर मैनें परिवादी श्री पंकज कुमार से पूर्व में दिया हुआ डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री नरेन्द्र जी जीएसटी इन्सपेक्टर से मेरे काम की बात की तो उन्होनें मेरा काम करने की ऐवज में मेरे से 4000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा एक दो दिन में ही देने का कहा। तत्पश्चात् हम दोनो अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। पास ही खडे परिवादी ने भी श्री भवानी सिंह हैड कानि0 द्वारा बताये तथ्यो की ताईद की। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर चालू कर मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो वार्ता में रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में मांग सत्यापन हो जाने से आगामी ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लेकर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये की व्यवस्था करने के लिये कहा तो परिवादी ने कहा कि मुझे रिश्वत राशि 4000/-रूपये की व्यवस्था करने में एक दो दिन लगेगें व्यवस्था होते ही मैं एसीबी कार्यालय आ जाउंगा। जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया गया तथा परिवादी श्री पंकज कुमार को गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार करने का निर्णय लेकर डिजीटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में रखा हुआ डिजीटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मेरे कब्जे से निकाल कर कार्यालय हाजा के श्री सतपाल खोखर कानि0 को सुपुर्द कर निर्देशित किया कि डिजीटल रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर शब्द बशब्द लैपटॉप के माध्यम से टाईप करे। जिस पर श्री सतपाल खोखर कानि0 ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है जिसमें से रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर कार्यालय के लैपटॉप के माध्यम से टाईप कर डिजीटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। दिनांक 30.01.2025 को वक्त 09.30 एएएम पर दर्ज रहे कि आयोजित टैªप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लक्ष्मणदान सहायक उप निरीक्षक को गवाह तलबी के लिये निर्देशित किया था जिसके क्रम में सहायक उप निरीक्षक ने विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम तहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाहन की तलबी की गई थी जो कार्यालय हाजा पर गवाह श्री सतीश कुमार व नितीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री पंकज कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। कार्यालय कक्ष में पूर्व में उपस्थित स्वंतत्र गवाह श्री नितीश कुमार व श्री सतीश कुमार व परिवादी श्री पंकज कुमार का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे से निकाल कर दोनो गवाहन को पढाई गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधी वार्ता जो कि डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त रिकार्डर को चालू कर मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया। दोनेा गवाहो ने परिवादी की रिपोर्ट पढ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर परिवादी से पूछताछ करने के पश्चात् ब्यूरो द्वारा की जाने वाली टैªप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति देकर परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहन ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को पूर्व मे टाईप किया जा चुका है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाना आवश्यक होने से कानि. द्वारा टाईप किये गये शब्दों को रिकार्डिंग वार्ता से हूबहू मिलान करने के लिये कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से इनबिल्ट स्पीकर पर सोफ्वेयर की सहायता से सुन-सुनकर वार्ता के पूर्व मे टाईपशुदा शब्दों से मिलान कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वार्ता परिवादी व स्वतंत्र गवाहन की उपस्थिति में श्री सतपाल खोखर कानि0 से तैयार करवाना शुरू किया गया। तत्पश्चात् ब्यूरो के डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्डषुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के सुन-सुनकर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वायस रिकर्डर में रिकार्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कि रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड

है उक्त वार्ता के लेपटाप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार किये जिन्हें खुली हालत में रखा गया तथा डिजिटल रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को रिकार्डर में से निकालकर मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लैपटाप से निकाली जाकर उक्त मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर कपडे की एक थैली में शिल्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। दर्ज रहे कि कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमे मैमोरी कार्ड लगाकर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाया गया था उक्त वायस रिकार्डर मे दिनांक व समय अपडैट नही होने से समय व दिनांक सही दर्ज नही हो रहे है क्योंकि सत्यापन हेतु जाते समय सैफ्टी के मद्देनजर रिकार्डर मे से सैल निकालकर रिकार्डर को बन्द चालू किया जाता है जिससे इसमे समय व दिनांक बदलाव हो जाता है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री सतीश कुमार व श्री नितीश कुमार की उपस्थिति में परिवादी श्री पंकज कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री पंकज कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया श्रीमति कौशल्या महिला कानि. नं0 314 से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा अपना दाहिना कान खुजलाकर या मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिस्ड काल/काल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया तथा समस्त टे्प दल के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री पंकज कुमार ने बताया कि श्री नरेन्द्र सिंह जीएसटी इन्सपेक्टर ने मुझे कहा था कि रूपये देने के लिये आवे तब पहले मुझे फोन करके पूछ लेना, जिससे मैं मेरी उपस्थिति बता दूंगा। परिवादी के बताये तथ्यो के क्रम में एसओ की उपस्थिति की जानकारी के लिये परिवादी के मोबाईल से एसओ के मोबाईल पर जरिये वाटसअप काल वार्ता करवाई गई तथा इस वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर रिकार्डर चालू कर रिकार्ड किया गया। परिवादी से एसओ की करवाई गई उक्त वार्ता की विडीयो रिकार्डिंग मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के मोबाईल व कार्यालय के विडीयो रिकार्डर से करवाई गई जिसका पृथक से पेन ड्राईव तैयार कर शामिल कार्यवाही किया जायेगा। तत्पश्चात् वक्त 01.10 पी0एम0 पर परिवादी श्री पंकज कुमार उसकी मोटरसाईकिल से एवं परिवादी के पीछे पीछे श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर मय श्री गोविन्द बर्मा एएसआई के जीएसटी कार्यालय की तरफ रवाना करते हुए श्री भवानी सिंह को हिदायत दी गई कि जीएसटी कार्यालय से पूर्व परिवादी को एकान्त स्थान में रोककर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्ड करने के लिये डिजीटल वायस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे। इनके पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा स्वतंत्र गवाहन श्री सतीश कुमार व ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई सतपाल खोखर कानि0 जरिये निजी वाहन एवं श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाह श्री नितीश कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ श्री अवतार सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहनलाल हैड कानि0 श्री प्रमोद सिंह कानि0 जरिये निजी वाहन से जीएसटी कार्यालय की तरफ रवाना हुए तथा श्री कुलदीप सिंह कानि0 को कार्यालय की सरकारी गाडी में ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री ट्रेप बाक्स लेपटाप प्रिन्टर कागज रिम रखवाया जाकर आगामी सूचना के इन्तजार में डाक बंगला सार्किल के पास मुकीम रहने की हिदायत देकर रवाना किया गया। रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि0 श्रीमति कौशल्या को कार्यालय हाजा पर ही निगरानी के लिये छोडा गया। तत्पश्चात् फिगरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमरायान ट्रेप दल के सदस्यो मय हमरा वाहनो के जीएसटी कार्यालय से कुछ दुरी पहले एकान्त स्थान पर समस्त वाहनो में ही बैठे रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इतजार में मुकीम रहे। वक्त 01.28 पी0एम0 पर परिवादी श्री पंकज कुमार अपनी मोटरसाईकिल से जीएसटी कार्यालय के परिसर में प्रवेश हुआ तो एक व्यक्ति कार्यालय के परिसर में ही परिवादी से मिला तथा वह व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल लेकर जीएसटी परिसर से बाहर की तरफ रवाना होते हुए परिवादी को भी साथ ही रवाना होना का ईशारा किया तथा दोनो अपनी अपनी मोटरसाईकिलो से बाजार की तरफ रवाना हुए जिस पर जीएसटी कार्यालय के बाहर गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम ट्रेप दल के सदस्य ने उन दोनो को जाते हुए देखा जिस पर हम समस्त ट्रेप दल के सदस्य हमरा वाहनो से उनके पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाये हुए रवाना हुए। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा समस्त ट्रेप दल के सदस्यो एवं हमरा वाहनो सहित पुराना बस स्टैण्ड पहुंचे तो पुराना बस स्टैण्ड पर एक पान की दुकान के आगे परिवादी व एसओ खडे दिखाई दिये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान ट्रेप दल के सदस्यो हमरा वाहन में ही बैठे रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे मे परिवादी को देखते हुए एकान्त स्थान पर मुकीम रहा तथा अन्य ट्रेप दल के सदस्य भी हमरा वाहनो मे उतर कर अलग-अलग स्थानो पर मुकीम होकर गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त रहे। तत्पश्चात् मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री पंकज कुमार ने दिनांक 30.01.2025 को वक्त 01.57 पी0एम0 पर पाली के पुराना बस स्टैण्ड भण्डिया रोड तिराहे पर आटो रिक्शा स्टैण्ड के पास से एक मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति के पास ही परिवादी अपनी मोटर साईकिल पर बैठे हुए ही ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुऐ पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने दाहिने कान को खुजलाते हुए किया। मोटर साईकिल पर बैठा व्यक्ति व परिवादी के मध्य

हुई रिश्वत राशि आदान प्रदान की घटना को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य ब्यूरो टीम के सदस्यो ने भी अपने-अपने गोपनीय स्थान पर खडे होकर देखा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा समस्त ब्यूरो दल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी व मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचे तो ब्यूरो टीम के सदस्यो को एक साथ नजदीक आते देखकर परिवादी के पास ही मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बायीं जेब से रूपये निकाल कर जमीन पर फैक कर मोटरसाईकिल सहित भागने की कोशिश की जिस पर ब्यूरो टीम के सदस्यो ने मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति को मोटरसाईकिल सहित दस्तीयाब कर उस व्यक्ति के दोनो हाथो को कलाई के उपर से हमरा ब्यूरो स्टाफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई व श्री अवतार सिंह सहायक प्रशासन अधिकारी से पकडवाये। तत्पश्चात् पास ही मोटर साईकिल पर बैठे परिवादी ने मोटर साईकिल से उतर कर पूर्व में दिया हुआ डिजीटल वायस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने कब्जे में रखा। तत्पश्चात् परिवादी श्री पंकज कुमार ने उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही नरेन्द्र सिंह जीएसटी इन्सपेक्टर है जिन्होनें अभी-अभी मेरे से मोटरसाईकिल पर बैठे बैठे ही रिश्वत राशि के 4000/-रूपये मांग कर लिये तथा अपनी जेब में डाले। तत्पश्चात् मेरे द्वारा रिश्वत राशि आदान प्रदान का गोपनीय ईशारा करने के पश्चात् आप लोगो के नजदीक आने पर इन्होनें मेरे से लिये हुए रिश्वत राशि के 4000/-रूपये अपनी जेब से निकाल कर सडक पर फैके है जो मोटरसाईकिल के पास ही पडी हुई राशि है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाईकिल पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना व हमरायान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जनक सिंह जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी 144 अमृतपुरी कालोनी अनाज गोदाम के पास चैपड हिडौन सिटी जिला करौली हाल सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली होना बताया। तत्पश्चात् उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति के दोनो हाथो को कलाई के उपर से हमरा ब्यूरो स्टाफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई व श्री अवतार सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पकडवाये हुए ही मोटरसाईकिल से नीचे उतारा। तत्पश्चात् श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त कर ब्यूरो टीम को देखकर सडक पर फैक देने से उक्त रिश्वत राशि के नोटो को बरामद करना आवश्यक होने से हमरा लाये गये विडीयो रिकार्डर एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन को चालूकर विडीयो रिकार्डिग करवाते हुए फैके गऐ रिश्वत राशि के नोटो को हमरा स्वतंत्र गवाहन श्री नितीश कुमार से उठवाये जाकर गिनवाये गये तो पांच-पांच सौ रूपये के आठ नोट कुल 4000/-रूपये होना पाया गया। उक्त राशि वजह सबूत होने से एक सफेद कागज में लपेट कर गवाह श्री नितीश कुमार के पास ही सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री पंकज कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नही दिया। रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का उक्त स्थान सार्वजनिक एवं आम रास्ता होने से मौके पर अत्यधिक भीड एकत्रित हो गई जिससे अग्रिम कार्यवाही में असुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त स्थान से रवाना होकर आगामी कार्यवाही सर्किट हाउस पाली में करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् वक्त 02.10 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा स्वतंत्र गवाह श्री नीतिश कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक के दोनो हाथो को कलाई के उपर से ब्यूरो स्टाफ श्री गोविन्द वर्मा व श्री अवतार सिंह से पकडवाये हुए हमरा प्राईवेट निजी वाहन में बैठाकर मौका स्थल पुराना स्टैण्ड पाली से सर्किट हाउस पाली के लिये रवाना हुआ तथा अन्य हमरा ट्रेप दल के सदस्यो एवं परिवादी को भी सर्किट हाउस पाली पहुंचने हेतु निर्देशित किया तथा श्री नरेन्द्र सिंह की मोटरसाईकिल को भी सर्किट हाउस पाली लाने के लिये हमरा ब्यूरो स्टाफ को निर्देशित किया। वक्त 02.15 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दस्तीयाब शुदा श्री नरेन्द्र सिंह गय ब्यूरो स्टाफ श्री अवतार सिंह व श्री गोविन्द वर्मा स्वतंत्र गवाह श्री नितीश कुमार के सर्किट हाउस पाली पहुंचा। सर्किट हाउस पाली के केयरटेकर से ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही सम्पादित करने के लिये एक कमरा उपलब्ध करवाने की अनुमति चाही गई तो केयरटेकर श्री धीरेन्द्रसिंह ने मौखिक अनुमति देते हुए सर्किट हाउस के कमरा नं0 07 को उपलब्ध करवाया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा दस्तीयाब शुदा श्री नरेन्द्र सिंह एवं ट्रेप दल के सदस्य सहित कमरा नं0 07 में पहुंचे तथा आगामी कार्यवाही सम्पादित करना शुरू किया गया । तत्पश्चात् श्री कुलदीप सिंह कानि0 को सरकारी वाहन मय ट्रेप बाक्स लेपटाप प्रिन्टर लेकर आगामी निर्देशो की पालना में कार्यालय हाजा पर ही मुकरर्र किया गया था जिसे ट्रेप बाक्स लेपटाप प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबधित उपकरण सहित सरकारी वाहन लेकर सर्किट हाउस पाली आने के लिये निर्देशित किया गया था जो निर्देशानुसार सर्किट हाउस पाली उपस्थित आया। तत्पश्चात् हमरा लाये गये विडीयो रिकार्डर को चालू कर आगे की कार्यवाही की विडीयो रिकार्डिग करवाते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन की उपस्थिति में पुनः श्री नरेन्द्रसिंह सीजीएसटी निरीक्षक को अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुए कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए परिचय पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली होना बताया। तत्पश्चात् पास ही बैठे परिवादी श्री पंकज कुमार की तरफ ईशारा कर परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी से कोई रिश्वत राशि नही लेना बताया। जिस पर परिवादी श्री पंकज कुमार श्री नरेन्द्र सिंह के बताये तथ्यो का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होनें मेरी फर्म का वेरिफिकेशन कर फाईल आगे भेजने व पेनल्टी नही लगाने की ऐवज में मेरे से 4000/-रूपये मांगे थे जो इन्होनें आज मेरे से प्राप्त किये तथा आप लोगो को नजदीक आते देखकर रिश्वत राशि के रूपये अपनी जेब से

निकाल कर फैंक दिये थे। परिवादी के बताये तथ्यों एवं समस्त ब्यूरो टीम के सदस्यो द्वारा भी आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह व परिवादी श्री पंकज कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन एवं श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा रिश्वत राशि ब्यूरो टीम को देखकर अपनी जेब से निकाल कर फैकते हुए की घटना को देखने से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से अपने हाथो से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी उपरी जेब में रखी जिसके लिए आरोपी के दोनो हाथो एवं पहनी हुई शर्ट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से धोवन की अग्रिम कार्यवाही शुरू कर टेप बाक्स को गाडी मे से सर्किट हाउस के कमरा नं0 07 में मंगवाया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री नरेन्द्रसिंह सीजीएसटी निरीक्षक के हाथो के धोवन की कार्यवाही स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी के रूबरू प्रारम्भ की गई। प्लास्टिक की यूज एण्ड थ्रो दो साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को उक्त रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री नरेन्द्रसिंह के बांये हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि परिवादी श्री पंकज कुमार से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब में डालने से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह की पहनी हुई शर्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री नरेन्द्र सिंह की पहनी हुई शर्ट उतरवाई गई तथा प्लास्टिक की एक नयी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया तो घोल कर रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजिरीन ने भी स्वीकार किया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के उक्त शर्ट की उपरी बांयी जेब को उलटवाकर तैयार शुदा उक्त घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजिरीन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के पहनी हुई शर्ट जिसमें आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर शर्ट की जेब में डाली थी वजह सबूत होने से कपडे की एक थैली में सिल मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। थैली पर मार्क एस अंकित किया जाकर थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि के 4000/-रूपयो के नोट जो कि आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा घटनास्थल पर ब्यूरो टीम को आता हुआ देखकर अपनी जेब से निकाल कर फैंक दी थी जो तत्समय ही मौके पर गवाह श्री नितीश कुमार से उठवाई जाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री नितीशकुमार के पास ही रखवाई गई थी जिसको पुनः गवाह श्री नितीश कुमार के पास से निकलवाकर गवाह से पुनः गिनवाई गई तो 4000/-रूपये की राशि होना पाया गया। उक्त राशि को पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेषकषी सुपुदर्गी नोट की प्रति गवाह श्री सतीश कुमार को देकर नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है-1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 डीएच 172607 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 एचज़ी 165088 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 क्यूटी 834552 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 यूएस 134115 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 ईएफ 202012 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 एएम 284627 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 पीडी 959389 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 सीक्यू 068013 उक्त रिष्वत राशि के नोटों को कपडे की एक थैली में सील चिट कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात् रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त परिवादी श्री पंकज कुमार व आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मध्य हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई थी उक्त वायस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में है जिसे चालू कर सुना गया तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह व परिवादी श्री पंकज कुमार के मध्य रिश्वत राशि लेन देन संबधी वार्ता होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक की जामा तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से श्री नरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी हमरा स्वतंत्र गवाह श्री सतीश कुमार ग्राम विकास अधिकारी से लिरवाई गई तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के पास एक मोबाईल ओपो एफ-90एस माडल नम्बर सीपीएच 2223 होना पाया गया जिसमें एक जीओ व दुसरी वोडाफोन कम्पनी की सिम लगी हुई है। जिसमें से जीओ के नम्बर [redacted] व वोडाफोन के नम्बर [redacted] है। उक्त मोबाईल के ईएमआई नम्बर [redacted] व [redacted] है। आरोपी का उक्त मोबाईल कार्यवाही मे वजह सबूत होने से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया जाना आवश्यक होने से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त मोबाईल अनुसंधान मे वाछित होने से खुली हालात मे रखा गया। आरोपी के मोबाईल का अवलोकन किया गया तो उक्त मोबाईल के वाटसएप नम्बर मे पंकज ज़ी विन्डो के नाम से वाटसएप

नम्बर [redacted] पर काल एवं वाटसएप चैट होना पाया गया। इस चैट मे दिनांक 21.01.25 को तीन आउटगोइन्ग काल जिसमे दो काल मे नो आन्सवर है एवं समय 11.48 एएम पर 34 सैकण्ड वार्ता हुई है इसी प्रकार समय 2.10 पीएम वार शुक्रवार (दिनांक 24.01.25) को एक मिनट की इनकमिंग शनिवार (25.01.25) समय 2.46 पीएम पर एक मिनट इनकमिंग एवं 12.47 पर एक मिनट की आउट गोइन्ग मंगलवार (28.01.25) समय 11.17 एएम पर 30 सेकण्ड इनकमिंग समय 01.02 पीएम आउटगोइन्ग नोआन्सवर तथा समय 01.03 पीएम पर इनकमिंग 50 सेकण्ड की वार्ता है तथा समय 03.38 पीएम पर पंकज द्वारा जोधपुर आने तथा कल शाम आजाने का लिखा हुआ मैसेज है दिनांक 29.01.25 समय 11.28 एएम पर पंकज द्वारा पाली आजाने का मैसेज है तथा समय 05.18 पर आउटगोइन्ग नोआन्सवर एवं समय 07.17 पीएम पर एक मिनट की इनकमिंग काल है तथा दिनांक 30.01.25 को समय 12.52 पीएम पर 29 सैकण्ड की इनकमिंग काल है। इसी प्रकार आरोपी के मोबाईल मे सामान्य काल का अवलोकन किया गया तो परिवादी पंकज के मोबाईल नम्बर पर शनिवार दिनांक 25.01.25 को समय 11.23 एएम 11.24 एएम 12.38 पीएम पर आउट गोइन्ग काल जो कि 00.00 सैकण्ड है तथा समय 12.44 पीएम पर 06 सैकण्ड का इनकमिंग काल है। दिनांक 26.01.25 को समय 06.29 पीएम, 07.38 पीएम पर आउट गोइन्ग काल जो कि 00.00 सैकण्ड है तथा दिनांक 28.01.25 को समय 11.17 एएम पर 08 सैकण्ड का इनकमिंग काल है। आरोपी के उक्त मोबाईल मे परिवादी से हुई वाटसएप चैट एवं सामान्य काल की विडियों रिकार्डिग करवाई गई तथा इसी चैट एवं काललोग की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल से फोटो ली जाकर प्रिन्ट आउट निकलवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई की जायेगी। आरोपी श्री नरेन्द्रसिंह को परिवादी श्री पंकज को किये गये काल एवं वाटसैएप मैसेज/काल के संबंध मे पूछने पर बताया कि परिवादी पंकज अपने पूराने रजिस्टेशन के संबंध मे जानकारी के लिये करता था। जिस पर आरोपी द्वारा परिवादी पंकज को किये मोबाईल काल के संबंध मे पूछने पर बताया कि पंकज बताया कि पंकज विण्डों का काम करता है मै मेरे मकान के विण्डों के संबंध मे बात करता था। तत्पश्चात् आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक को परिवादी श्री पंकज कुमार से ली गई रिश्वत राशि एवं परिवादी के लम्बित कार्य के बारे में पुनः पूछा तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने रिश्वत राशि लेने से इंकार किया तथा परिवादी पंकज कुमार के कार्य के बारे में बताया कि इसकी एक फर्म है जो बंद पडी है उसको चालू करवाने के लिये मेरे पास आया था तथा परिवादी श्री पंकज कुमार की फर्म का वेरीफीकेशन करने परिवादी के घर जाने के बारे में पूछने पर स्वंय का परिवादी के फर्म का वेरीफीकेशन करने परिवादी के घर जाना बताया। परिवादी की फर्म का वेरीफीकेशन करने के बारे में पूछा तो बताया कि श्री पंकज कुमार की फर्म का वेरीफीकेशन करने का दायित्व मेरे पास ही था जो मेरे द्वारा किया जा चुका है तथा फर्म संबधी पत्रावली आगे मूव कर दी है। परिवादी श्री पंकज कुमार को फोन कर आफीस बुलाने के संबध में पूछने पर बताया कि मैनें पंकज कुमार को फोन पर वार्ता की थी तथा उसके फर्म को चालू करने के लिये पंकज कुमार को मैनें मेरे आफीस बुलाया था। परिवादी श्री पंकज कुमार का काम लम्बित होने के संबध में पूछा तो अब स्वंय के पास कोई काम लम्बित नही होना बताया है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही में एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया की परिवादी श्री पंकज कुमार की फर्म का वेरीफीकेशन करने व फाईल आगे भेजने एवं पेनल्टी नही लगाने की ऐवज में श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक द्वारा परिवादी से 4000/-रूपये रिश्वत की मांग करना, मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित है। तत्पश्चात् मांग के अनुसरण में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा आज दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखी जो ब्यूरो टीम को आते हुए देखकर अपनी जेब से निकाल कर सडक पर फैंक दी जो दौराने ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाहन के रूबरू बरामद की गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। ट्रेप कार्यवाही से संबधित फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही वक्त 06.36 पी0एम0 पर सम्पादित हुई। कार्यवाही से सम्बंधित फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई पृथक तैयार कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। विस्तृत हालत फर्द में अंकित किये गये। कार्यवाही के दौरान ही श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक को परिवादी के लम्बित कार्य से संबधित दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु सीजीएसटी कार्यालय पाली रवाना किया गया था जो निर्देशानुसार सीजीएसटी कार्यालय से परिवादी के कार्यालय से संबधित दस्तावेजात लेकर उपस्थित आये। दस्तावेजात का अवलोकन किया तो सहायक आयुक्त कार्यालय पाली का पत्र क्रमांक 1/269 दिनांक 15.01.2025 जो अधीक्षक सीजीएसटी रेंज पाली को अग्रेषित है। जिसमें वर्णित सारणी के नीचे वाले कालम में परिवादी श्री पंकज कुमार की फर्म का उल्लेख है। यह पत्र श्री नरेन्द्र सिंह को दिनांक 16.01.2025 को ही मार्क किया हुआ है। इस पत्र के सलंग्न ही एक ओर पत्र क्रमांक 156 दिनांक 06.01.2025 जो कि परिवादी श्री पंकज कुमार के नाम से अग्रेषित है। उक्त दोनों दस्तावेज फोटोप्रति प्रमाणित श्री मोहनलाल नामा अधीक्षक सीजीएसटी रेंज-16 पाली द्वारा किया हुआ है। इस प्रकार दस्तोवजात के अवलोकन से परिवादी श्री पंकज कुमार का कार्य आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक द्वारा ही सम्पादित किया जाना था जो उसके पास आज दिनांक तक लम्बित होना पाया गया। तत्पश्चात् वक्त 07.20 पी0एम0 पर टेªप कार्यवाही मे ऊजागर हुये साक्ष्यों की विवेचना से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने

पर उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह किया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक के पाली स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु पूर्व में श्री धमेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली प्रथम को निर्देशित किया गया था लेकिन आरोपी के किराये का मकान ताला बंद होने व आरोपी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में होने से आरोपी व आरोपी के परिवारजनो की अनुपस्थिति में आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आरोपी की उपस्थिति में लिये जाने का निर्णय लिया गया तथा आरोपी के किराये के ताला बंद निवास को श्री धमेन्द्र डूकिया अति0 पुलिस अधीक्षक पाली प्रथम द्वारा शिल्ड किया गया जिसकी तलाशी हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह एवं स्वंतत्र गवाह श्री नितीश कुमार व श्री सतीश कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ श्री चैनप्रकाश पुलिस निरीक्षक श्री गोविन्द वर्मा एएसआई श्री मोहनलाल हैड कानि. श्री कुलदीप कानि0 एवं कार्यालय हाजा का विडीयो रिकार्डर लेकर जरिये [illegible] व निजी वाहन से आरोपी के किराये के मकान को रवाना हुए। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का उपरोक्त हमरायान के रवाना शुदा आरोपी के किराये के मकान महावीर नगर कच्ची बस्ती पाली पहुंचा तथा मकान मालिक श्री हुकम सिंह को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उनके मकान के किरायेदार श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक के कमरे की खाना तलाशी हेतु अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। खाना तलाशी से संबंधित समस्त हालात फर्द खाना तलाशी में अंकित कर फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार कर संबधितगणो के हस्ताक्षर [illegible] शामिल कार्यवाही की गई। इस खाना तलाशी की विडीयोग्राफी भी हमरा लाये विडीयो रिकार्डर से करवाई गई [illegible] मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा उपरोक्त हमरायान व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नरेन्द्र सिं[illegible] के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु गया हुआ बाद खाना तलाशी सर्किट हाउस उपस्थित आया। तत्पश्चात् [illegible] श्री पंकज कुमार व आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक के मध्य दिनांक 30.01.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व जरिये वाट्सअप काल एवं लेन-देन के दौरान हुई रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है जिसे कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति [illegible] के साफ्वेयर की मदद से लेपटोप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन [illegible] दौराने लेन-देन वार्ता श्री प्रमोद सिंह कानि0 से तैयार करवाना शुरू किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 31.01.2[illegible] 02.45 ए0एम0 पर ब्यूरो के डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्डषुदा लेन-देन से पूर्व जरिये वाट्सअप काल एवं [illegible] दौरान हुई रूबरू वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के सुन-सुनकर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिष्वत [illegible] वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्डशुदा रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व एवं लेन देन के वक्त की वार्तालाप जो कि रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त [illegible] के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार किये जिन्हें खुली हालत में रखा गया तथा डिजिटल रिकार्डर में लगे मेमोरी [illegible] रिकार्डर में से निकालकर मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लैपटाप से निकाली [illegible] मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर कपडे की एक थैली में शिल्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर [illegible] कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। वक्त 10.15 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा स्वतंत्र गवाह श्री [illegible] मार एवं सतीश कुमार एवं परिवादी श्री पंकज कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई व श्री मोहनला[illegible]0 के जरिये सरकारी वाहन के घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने हेतु घटनास्थल पुराना बस स्टैण्ड पाली के लिये रवाना हुआ। ट्रेप कार्यवाही से संबधित जब्तशुदा वजह सबूत एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात जो कि सर्किट [illegible] कमरा नं0 07 में बनी अलमारी में रखवाये जाकर ताला बंद कर चाबी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में [illegible] जिसकी निगरानी हेतु श्री सतपाल खोखर कानि0 व श्री प्रमोदसिंह कानि0 को मामूर किया गया। तत्पश्चात् [illegible] फिगरा का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमरायान के घटनास्थल पुराना बस स्टैण्ड पाली प[illegible] परिवादी श्री पंकज कुमार की निशादेही से फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तैयार करना शुरू किया गया। तत्पश्चा[illegible] क्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन व परिवादी की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से फर्द घटनास्[illegible] का तैयार कर संबधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। बाद नक्शा मौका घटनास्थल के [illegible] बस स्टैण्ड पाली से हमरायान के सर्किट हाउस पाली के लिये रवाना हो सर्किट हाउस पाली उपस्थित आये। [illegible] कार्यवाही एवं एकत्रित साक्ष्यो के विशलेषण से पाया गया कि परिवादी श्री पंकज कुमार की फर्म का वेरीफीके[illegible] फाईल आगे भेजने एवं पेनल्टी नही लगाने की ऐवज में श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक द्वारा परिवादी [illegible] रूपये रिश्वत की मांग करना मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित है। तत्पश्चात् मांग के अनुसरण में आरोपी [illegible] द्वारा आज दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखी जो ब्यूरो टीम [illegible] देखकर अपनी जेब से निकाल कर सडक पर फैंक दी जो दौराने ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाहन के रूबरू बरामद [illegible] गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) [illegible] अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार आरोेपी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जन[illegible] गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी 144 अमृतपुरी कालोनी अनाज गोदाम के पास चैपड हिंडौन सिटी जिला

करौली हाल सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली का आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या दण्डनीय अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन वास्ते क्रमांकन श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा की सेवामें सादर प्रेषित है। एसडी खींवसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी पाली द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींवसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जनक सिंह निवासी 144 अमृतपुरी कालोनी अनाज गोदाम के पास चाैपड हिंडौन सिटी जिला करौली हाल सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 559 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।क्रमांक 113-16 दिनांक 31.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.PRINCIPAL, COMMISSIONER,GST,COMMISSIONERATE,JODHPUR 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHWAR LAL **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में भेजने की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त के शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	(लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	27/04/1989				

Deformities/Peculiarities (विकृति/विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)